Mr. Speaker: A thing which has not been allotted inside the Chamber you are raising. I am not going to allow it whatever may happen. May I request you to take your seat?

Shri S. M. Banerjee: Three thousand and five hundred people . . .

Mr. Speaker: You and I, both of us, cannot be standing. Will you please sit down. Shrimati Tarkeshwari Sinha.

Shri S. M. Banerjee: Three thousand and five hundred people . . .

Mr. Speaker: You are raising a point which is not allowed If the Minister does not accept a short notice question, it is not my fault.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : वे लोग यह कह रहे हैं कि मंत्री महोदय उन पर बयान दें।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : 3500 आदमी का छटनी हो जाता है।

Mr. Speaker: He cannot raise like that.

श्री मधु लिमये : वे तो बयान देने के लिये विचार कर रहे हैं।

Mr. S. M. Banerjee: Let him make a statement, let him save 3,500 workers.

Mr Speaker: Will you please sit down. In some shape or other you want to raise a question which has not been allowed or admitted So many other calling attention notices are not allowed every day, and if every one of them is raised here, there can be no business in the House. I am not going to allow it. You may request the Minister outside the House, you cannot just raise a question which has not been allowed.

Shri Hem Barua: On a point of information. May I have information from you . . .

Mr. Speaker: No, not now

Shri Hem Barua: It is very relevant.

Mr. Speaker: Then, somebody else will want something else. Shrimati Tarkeshwari Sinha.

12.20 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

FERTILIZER PRODUCTION IN INDIA

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): I call the attention of the hon. Minister of Petroleum and Chemicals to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

> "The question of extension of the time limit given to the foreign oil companies by the Government to attract external investment for fertilizer production in India".

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Asoka Mehta): The Government of India have attached the highest importance to the attainment of self-sufficiency in food by 1971-72. Amongst the pre-requisites for this is the production of fertilisers on an adequate scale to meet the rapidly growing need. The Government of India, therefore decided in December 1965 on various measures to promote the rapid development of the fertiliser industry in the country.

Firstly Government embarked on the execution of a series of large modern projects in the public sector. These, on completion during 1969 and 1970 will add 936 000 tonnes of nitrogen production annually.

Secondly, effective upto the 31st March 1967, Government announced certain decisions designed to promote private investment Indian and origin, in the fertiliser industry. The most important of the decisions is that newly approved projects which now total 964 000 tonnes of annual nitrogen capacity, will have freedom to market their production without price

control for a period of seven years from the commencement of commercial operations in each case; this is, however, subject to the right of Government to take up to 30% of the production at agreed prices. In April 1966, Government decided that plants already in operation or those licensed earlier, whether in the public or the private sector, will also be gradually freed from the control over marketing and price. The fertiliser pool as an an agency for distribution will confine its activities only to the product imported or purchased, as aforesaid, from indigenous plants.

2. While individual fertiliser factories will thus be free to determine their selling prices, the public sector units will occupy a dominant position in meeting the demand. Of nearly 2.8 million tonnes of nitrogen capacity now under realisation, over 1.6 million tonnes is in the public sector. Besides, Government will have the right to buy and distribute through their agencies over 300,000 tonnes of the product of private plants. Secondly the measures taken for the development of the industry are expected to ease the fertiliser supply position in about 3 years. These two factors should operate to ensure that fertiliser prices to the consumer will, at all times, remain fair and reasonable.

To satisfy the growing demand, which is expected to exceed 4 million tonnes of nitrogen annually by 1975-76 and may well be vastly greater, it is necessary, in this view, to work for an abundance of fertiliser production in the country, with the public sector making the requisite contribution.

3. Measures lately taken by Government are expected to give the country substantial self-sufficiency, in the next 3 or 4 years, in the fabrication of plant and equipment for the fertiliser and allied industries. The building of fertiliser factories thereafter will not call for large foreign exchange outlays. But new units needed in substitution of approved ones that may drop out and for satisfying the increased fertiliser demand in the coming years must be planned in the near future; and these will require substantial expenditure in foreign currencies. Proposals for additional public sector plants are under study and every effort will be made to allocate resources to finance them. But it is necessary that private investors also join in the effort currently needed to build new capacity. At present a number of proposals that could result in the establishment of nearly one million tonnes of nitrogen capacity are under negotiation and it is clearly desirable that they be taken to a final stage Government have, therefore, decided that all these pending proposals may be dealt with under the policy of December, 1965, provided they could result in the issue of industrial licenses by the 31st December 1967 and could also be expected to make a timely contribution to the aforesaid increase in indigenous production. Any new proposals received during the period will be dealt with in the same manner, provided they satisfy the same conditions.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I would like to put two questions, Sir.

Mr. Speaker: One question only.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: The Member who tables the Calling Attention Notice may put two questions.

Mr. Speaker: For Calling Attention, only one.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : उन्हें दो पूछने दिये जायें, क्या हर्ज है ?

अध्यक्ष महोदय : आप भी दो पूछियेगा ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप से कहे देता हूं मेरा सवाल होगा मैं नहीं पूछूंगा। मेरा सवाल इन्हीं को दे दीजियेगा।

Shrimati Tarkeshwari Sinha: From the statement of the hon. Minister this House has come to know that the

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

requirements of nitrogenous fertilisers are one million tons. Has the attention of the Government been drawn to the statement of the Chairman of the Fertiliser Corporation of India that for meeting the requirement of fertilisers in this country, we have the technical know how and the requisite knowledge for producing the required fertiliser and, if so, in view of that statement, does the Government consider the desirability of producing fertilisers on its own because the foreign exchange requirement for producing one million tons of nitrogenous fertilisers is Rs 100 crores, which comes to Rs. 20 crores per annum? In view of this, does the Government think of the desirability of changing the entire complexion of negotiations with the foreign firms and to put in the indigenous technical know how and knowledge and also the foreign exchange from our own resources for the production of fertilisers?

Shri Asoka Mehta: The indigenous know-how has been purchased by us and the designing and the engineering capacity that have been built up are already being utilised. As the hon. Member knows, we have recently taken up four fertiliser plants in the public sector; for two of them, the foreign exchange has been tied up and for the other two, we are still negotiating. We are anxious, as I pointed in my statement, of expanding the public sector also.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: My second part of the question, whether the Government proposes to utilise the resources of foreign exchange, of Rs. 100 crores to produce one million tons.

Shri Asoka Mehta: It is not possible to say that because these decisions are taken in the light of the various uses that are there for our foreign exchange resources It is not possible for me to say that Rs. 100 crores will be earmarked for the fertiliser industry. There are so many competing demands and the decision has to be taken accordingly.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : यह प्रश्न नही है, प्रश्न तो यह है . . .

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक अर्से से इस देश को उलझा दिया है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी पूंजी, देशी पूंजी के मसलो मे लेकिन पैदावार और फर्टिलाइजर्स का कहीं पता नही है । मैं जानना चाहता हू कि इस वक्त विदेशों के साथ जो विवाद चला है, कितनी पूंजी वह लगायेंगे, इस को लेकर चला है या विदेशों से अमोनिया मगाया जाय और हमारे देश में जो नाफ्ता तैयार होता है उस का इस्तेमाल न किया जाय, इस विवाद को लेकर चल रहा है। अगर अमोनिया विदेशो से यह मगाने वाले हैं तो उस मे विदेशी मुद्रा कितनी लगेगी और उस मे क्या घाटा होगा ?

श्री अशोक मेहता : एक सवाल के जवाब में मैंने इस का उत्तर दे दिया है कि सरकार की नीति है कि जहा तक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाने का सवाल है हमारे देश मे जो नाफ्ता पैदा होता है उसी से वह बनाया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : डा० राम मनोहर लोहिया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय . . . (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : वह ले सकती हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं खुले दिल से दे रहा हूं । तो क्या बैठ जाऊं ? . . . नाफ्ता एक तरल अमोनिया का मामला जो अभी श्री मधु लिमये ने उठाया उस के सम्बन्ध में . . (व्यवधान) अब क्या बतलाऊं बीच बीच में उठते हैं ? यह नहीं जानते कि अमोनिया 10,000 साल से हिन्दी है या 1 लाख वर्ष से हिन्दी है । एक तरल है । तरल अमोनिया से जो उर्वरक पैदा होता है वह सस्ता होता है, और इसलिये

इन विदेशी कम्पनियों को प्रचार करने का बड़ा मौका मिलता है कि हम नेप्था के मुकाबले में सस्ता उर्वरक दे सकेंगे । लेकिन चूंकि अरब की जितनी तेल कम्पनियां हैं उन के ऊपर अमरीका, इंग्लिस्तान या शायद और भी विदेशी देशों का इतना गम्भीर कब्जा है कि उस से हिन्दुस्तान और सारी जगहों पर एक तो राजकीय प्रभुत्व छा जाता है और दूसरे वक्ती तौर पर चाहे सस्ता हो, लेकिन लगातार लम्बान में मंहगी आ जाती है । इसलिये मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या उन को इस बात का अफसोस है कि जब मौका था डा० मुसद्दिक को मदद कर के उस इलाके को उन विदेशी कम्पनियों से छुड़ाने का तब हम ने वैसा नहीं किया, और इसलिये आज यह फैसला करते हैं, और क्या जब तक अरबिस्तान के इलाके को विदेशी कम्पनियों के शाप से छुड़ा नहीं लिया जाता—वहां की जनता छुड़ायेगी, उस में हम क्या कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं—तब तक हम उन विदेशी उर्वरक कम्पनियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे । क्या सरकार ने इस पर विचार किया है, और किया है तो उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री अशोक मेहता : डाक्टर साहब के उपदेश के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह उपदेश नहीं है । मैं श्री अशोक मेहता को जीवन में बहुत उपदेश दे चुका हूं और उस के नतीजे भी देख चुका हूं । मैं उन से जवाब चाहता हूं । मेरा लम्बा जीवन बीता है उन को उपदेश देते हुए । (व्यवधान) मुझे उत्तर चाहिये मुसद्दिक के बारे में और भविष्य में उर्वरक बनाने के बारे में । यह तो साफ बात है । मुसद्दिक साहब के साथ जो भारत सरकार का सम्बन्ध रहा, और जो उन की मदद नहीं की, उस पर क्या उन को अफसोस है ? यह सीधा सा सवाल है । अगर अफसोस है तो कह दें कि अफसोस है, अगर अफसोस नहीं है तो कह दें कि नहीं है । और आगे के लिये कह दें कि विदेशी . . .

Mr. Speaker: Can the Minister answer it?

श्री मधु लिमये : प्रधान मंत्री कहें ।

Shri Asoka Mehta: How can I answer it, Sir? How do I know what is the Government's view about Dr. Mussadiq? I am not in a position to say whether they are " अफसोस " or not.

Mr. Speaker: Mr. Fernandes.

डा० राम मनोहर लोहिया : जब यह मंत्री नाकाबिल और नालायक हैं इस का उत्तर देने में तो प्रधान मंत्री जी से दिलवा दें । प्रधान मंत्री जानती होंगी, डा० मुसद्दिक का नाम सुना होगा . . . (व्यवधान)

Mr. Speaker: I have called Mr. Fernandes.

डा० राम मनोहर लोहिया : : आखिर हमारी प्रधान मंत्री ने मुसद्दिक का नाम सुना होगा । वही कुछ कह दें । यह मुस्कराहट की बात की बात नहीं ।

श्री जार्ज फरनेंडीज : (बम्बई दक्षिण): जब जनवरी, 1966 में इन विदेशी कम्पनियों को हिन्दुस्तान में बुलाने की नीति बनी और सात साल के लिये न दामों के बारे में, न वितरण के बारे में उन पर कोई लगाम लगाई जायेगी इस नई नीति का ऐलान किया गया, तो यह बतलाया गया कि यह नई नीति 31 मार्च तक चलेगी क्या मंत्री महोदय हमें इस बात की जानकारी देंगे कि पिछले पन्द्रह महीनों में कितनी विदेशी कम्पनियों ने सात साल के लिये न वितरण पर और न दामों पर लगाम लगाने वाली शर्त को मंजूर कर के सरकार के सामने हिन्दुस्तान में कारखाने लगाने की अर्जियां दी । कितनी अर्जियों पर विचार हुआ और क्या फैसला हुआ ? और क्या इस में तथ्य है कि सरकार इस मुद्दत को और कई महीने के लिये बढ़ाना चाहती है, और बढ़ाना चाहती है तो किन शर्तों पर ?

श्री अशोक मेहता : जो सवाल का आखिरी हिस्सा था उस का जवाब मैंने स्टेटमेंट में दे दिया है। जो सवाल का पहला हिस्सा है उस के जवाब में मैं कहूंगा कि दिसम्बर, 1962 में इस नीति का ऐलान होने के बाद कानपुर में 2 लाख टन नाइट्रोजन के प्लान्ट के बारे में इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिया गया। गोआ में 1 लाख 60 हजार टन के लिये लाइसेंस दिया गया, मैंगलोर मे 2 लाख 40 हजार टन के लिये लाइसेंस दिया गया, कोटा मे 1 लाख 30 हजार टन का लाइसेंस दिया गया, गुजरात एक्स्पैन्शन मे 92 हजार टन के लिये लाइसेंस दिया गया। इस के अलावा फिलिप्स पेट्रोलियम को एक लेटर आफ इंटेंट दिया गया है। इस वक्त सरकार आठ और कम्पनियो से बात चीत कर रही है जिन के साथ नेगोशिएशन्स चल रहे हैं, और उम्मीद है कि उन मे से भी कुछ लोगो के साथ फैसला हो जायेगा।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : सिर्फ उन्हीं कम्पनियो को कंसेशन दिया जायेगा जिन के साथ नेगोशिएशन्स चल रहे हैं या नई कम्पनियो को भी कंसेशन दिया जायेगा ?

श्री अशोक मेहता : मैंने अपने स्टेटमेंट में बतलाया कि इस वक्त आठ कम्पनियों के साथ हमारी बात चीत चल रही है मगर 31 तारीख तक उन को इंडस्ट्रियल लाइसेंस देने की हालत में वह बातचीत नही पहुंची है। इस बात चीत को हम पूरा करना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि दोनो तरफ से ऐग्रिमेन्ट हो जाय तो उन्हें हम इंडस्ट्रियल लाइसेंस दे दें। ज्यादा से ज्यादा 31 दिसम्बर तक इस बात के लिये हम बात चीत करने को तैयार हैं। या तो इस के मुताल्लिक वह इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले लेते हैं या फिर आगे बात चीत नही चलेगी। इस दौरान में अगर कोई और भी आते हैं और इसी शर्त पर—दो शर्तें हैं। 31 दिसम्बर तक इंडस्ट्रियल लाइसेंस निकाल लेना चाहिये और दूसरी शर्त यह है कि हम ने कहा है कि 3 साल में वह प्रोजेक्ट बन जानी चाहिये और प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिये। इन दोनों को मानने के लिये वह तैयार हों तो कोई नया आदमी भी आना चाहे तो हम उस से बात चीत करेंगे।

12.36 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Mr. Speaker: Shri Fakhruddin Ali Ahmed—

श्री जार्ज फरनेंडीज (बम्बई दक्षिण) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

Mr. Speaker: On what subject?

श्री जार्ज फरनेंडीज : 21 तारीख को इसी सदन मे डा० राम मनोहर लोहिया ने प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हीरों के बारे मे एक मसला उठाया था। इस मसले के ऊपर मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स मे एक अग्रलेख देखा। . (व्यवधान)

Mr. Speaker: I cannot allow that to be raised now. We are now on the item "Papers to be laid on the Table". You cannot raise any other point now.

श्री एस० एम० जोशी : (पूना) : मैं आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रिविलेज के सवाल को श्री जार्ज फरनेंडीज ने उठाया है उस के कागजात को मैंने देखा है। मैं हालांकि यहां एक नया आदमी हू फिर भी मैं ने दस साल तक बम्बई असेम्बली में काम किया है। मैं देखता हू कि यह जो पेपर वाले लिखते हैं वह . . .

Mr. Speaker: You cannot raise it now. After all, you are the President of a Party. You cannot raise it now. It is not on the Agenda. How can I help if senior Members also try to do it?